राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(38) परि/नियम/मु./2011/15746 जयपुर, दिनांकः 12/08/2016

कार्यालय आदेश 29 /2016

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 में पंजीयन व लाईसेंस हेतु आयु व निवास के पते के प्रमाण के रूप विभिन्न दस्तावेजों को अधिकृत किया गया है। विभाग द्वारा भी पंजीयन व लाईसेंस के समय निवास के पते, पहचान व आयु के प्रमाण स्वरूप लिये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में समय–समय पर कार्यालय आदेश जारी कर दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है। एकाधिक आदेश होने के फलस्वरूप अधीनस्थ कार्यालयों में आयु व निवास के पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, वहीं अन्य राज्य से व्यवसाय/अध्ययन अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आने वाले व्यक्तियों के पास राज्य में निवास के पते के प्रमाण का दस्तावेज न होने के फलस्वरूप उनसे प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में भी स्पष्ट निर्देशों का अभाव होने से वाहन पंजीयन व लाईसेंस प्राप्त करने में व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है।

2. अतः पंजीयन व लाईसेंस के समय आयु व निवास के पते के प्रमाण स्वरूप लिये जाने वाले दस्तावेजों में एकरूपता लाने की दृष्टि से इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त कार्यालय आदेशों को अतिष्ठित (Supersede)करते हुये निर्देश प्रदान किये जाते है कि पंजीयन व लाईसेंस के समय आयु व निवास के पते के प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज स्वीकार किये जावेंः–

(1) मतदाता सूची,
(2) बीमा पॉलिसी,
(3) पासपोर्ट,
(4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा जारी वेतन पर्ची,
(5) स्कूल सर्टिफिकेट,
(6) जन्म प्रमाण पत्र,
(7) आयु के प्रमाण हेतु रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्टीशनर जो सिविल सर्जन से अनिम्न स्तर का हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र,

(8) विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल/स्थानीय निकाय द्वारा जारी लीज डीड/पट्टे की प्रति,

(9) टेलिफोन, जलदाय, विद्युत विभाग द्वारा जारी उपभोक्ता बिल,

(10) मतदाता पहचान पत्र,

(11) आधार कार्ड,

(12) अन्य राज्य/जिले से स्थानान्तरित होकर सरकारी/गैर–सरकारी संस्था से आए व्यक्ति का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (केवल स्थाई लाईसेंस जारी करने व नवीकरण के समय),

(13) भामाशाह कार्ड,

(14) राशन कार्ड (यदि अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में गृह कर की रसीद, पेन कार्ड भी संलग्न हो)।

3. इसके अतिरिक्त अन्य राज्य से व्यवसाय/अध्ययन अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आने वाले व्यक्तियों के पास राज्य में निवास के पते के प्रमाण का दस्तावेज न होने के फलस्वरूप उनको वाहन पंजीयन व ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत् यह भी स्पष्ट किया जाता है कि:

(1) अस्थाई पते की स्थिति में किराएनामे को भी पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा उसके स्थाई पते के प्रमाण के संबंध में क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान पता जिस पर आवेदक ने किरायेदार के रूप में रहना बताया है, के प्रमाण के रूप में आवेदक से उस आवास के संबंध में इस आदेश के क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भी प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) अस्थाई पते की स्थिति में पंजीयन प्रमाण–पत्र व चालन अनुज्ञप्ति में स्थाई व अस्थाई पतों दोनों का इंद्राज किया जाएगा, जिससे कर चोरी, वाहन के नष्ट होने, इंश्योरेंस क्लेम एवं आपराधिक घटना घटित होने की स्थिति में वाहन स्वामी की पहचान की जा सके।

(3) जहां आवेदन पत्र किसी ऐसे छात्र द्वारा किया गया हो जो अध्ययन हेतु अपने मूल निवास स्थान से भिन्न स्थान पर अध्ययनरत् है, से मूल निवास स्थान के प्रमाण के अतिरिक्त आवेदक से संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी वैध परिचय पत्र भी आवश्यक रूप से प्राप्त किया जायेगा।

(3) आयु व निवास के पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जाने वाले दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वंय सत्यापित किये जायेगे।

(4) अधिकृत किये गये वाहन विक्रताओं द्वारा भी उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 2 पर वर्णित दस्तावेजों को वाहन पंजीयन हेतु समान रूप से स्वीकार किया जावेगा।

(5) आदेश में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न अन्य दस्तावेज आयु व पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जावेगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि छद्म दस्तावेज के आधार पर पंजीयन किए जाने पर डीलर एवं आवेदक दोनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि :
क्रमांकः प.7(38) परि/नियम/मु./2011/15747-753 जयपुर, दिनांकः 12/08/2016

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री।
3. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण .....।
5. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (समस्त).....।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)